

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-394/11-सी- FP/UP/Pipeline/153250/2022, लखनऊ, दिनांक: जून 15, 2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद बरेली में चौबारी से एच०पी०सी०एल० सी०जी०एस० स्टेशन तक (बरेली-बदायूँ कैण्ट मार्ग) कुल 316 मी० भूमिगत गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0316 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं० FP/UP/Pipeline/153250/2022)

सन्दर्भ: उ०प्र० शासन की पत्र सं०-पी-995/81-2-2023-800(387)/2022, दिनांक-13.04.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली ने अपने पत्रांक-3745/14-1 दिनांक 07.06.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-394/11-सी- FP/UP/Pipeline/153250/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, बरेली वृत्त, बरेली।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, बरेली।
- 3- प्रबन्धक, गेल इण्डिया, लिमिटेड, आँवला, बरेली।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ou